निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं,
स्वास्थ्य भवन,जयपुर

क्रमांक रापक/भण्डार/2021–22/509 दिनांक 12-10-21

सीमित बोली सूचना सं.....01../2021–22

कार्यालय निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कम्प्यूटर विद ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किराये पर प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा प्रादाताओं/सद्भाविक व्यवहारियों से दर संविदा हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जाती है।

सीमित बोली का विवरण निम्न प्रकार है:–

1	कार्यालय का नाम	निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर
2	अनुमानित राशि	1.50 लाख रूपये
3	बिड आवेदन प्रापत करने/डाउनलोड की अंतिम तिथि, समय व स्थान	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in अथवा http://rajswasthya.nic.in से डाउनलोड अथवा केशियर कमरा नम्बर 236 लेखाशाखा निदेशालय परिवार कल्याण जयपुर से (कार्यालय समय में) दिनांक 20.10.2021 को सुबह 10.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।
4	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र स्टोर कीपर को कमरा नम्बर 222 निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर में दिनांक 20.10.2021 प्रातः 11.30 बजे तक जमा करा सकते है।
5	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	दिनांक 20.10.2021 दोपहर 3.00 बजे।
6	तकनीकी बोली खोलने का स्थान	कमरा नम्बर 228 निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर

1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव नियम अंतिम तिथि/समय तक निर्धारित प्रपत्र में मय अन्य दस्तावेजों के कार्यालय के कमरा नम्बर 222 में सील बंद लिफाफें में (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक लिफाफों में एक साथ) रखकर जमा कराने होंगे।
2. निर्धारित समय तक प्रापत बोलियों को दिनांक 20.10.2021 को दोपहर 3.00 बजे निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। वित्तीय बिड निर्धारित BOQ में भरी जानी है। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी, जिसके लिये अलग से सूचित किया जाएगा।
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी 2013 के समस्त प्रावधान एवं समय–समय पर जारी अन्य आदेश/परिपत्र/संशोधन इस बोली आमंत्रण पर लागू होंगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम /नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रावी माने जायेंगे।
4. उक्त बोली आमंत्रण सूचना व बोली प्रपत्र का पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं http://rajswasthya.nic.in पर भी अवलोकन/अपलोड किया जा सकता है।

अति0 निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक रापक / भण्डार / 2021–22 / 509 दिनांक 12.10.21

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस बोली प्रपत्र को SPPP पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. भण्डारपाल (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर को निदेशालय (प.क.) एवं अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. मैसर्स G.S. GOYANKA, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मैसर्स Digital Welfare जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मैसर्स Shree Shyam Goverdhan जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अति० निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन,जयपुर

कम्पयूटर विथ ऑपरेटर (मशीन विद मैन) के लिये सीमित बोली आंमत्रण (बिड प्राप्ति की अंतिम दिनांक 20.10.2021 प्रातः 11.30 बजे तक)

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता फर्म का नाम...
   डाक का पता ....
   ....
2. दूरभाष नम्बर :– कार्यालय.................................. मोबाईल नम्बर..................................
   ईमेलः ....
3. पैन न0...

4. बैंक का नाम ....
   खाता संख्या ....
   आईएफएससी ....
5. उद्धृत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए विधिमान्य हैं।
6. बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।
7.

कम स0	विवरण	रजि0स0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 *				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 *				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)				
5	आयकर (पैन न0)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

* नोट– क्रम संख्या 1 एवं 2 यदि लागू ना हो तो इस संबंध में बोलीदाता एक वचन पत्र (Undertaking) निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करेगा।

12-10-2021

8. बोलीदाता द्वारा बोलीदाता के संबंधित प्रमाण–पत्र एवं कागजात के साथ वित्तीय बोली निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, में प्रस्तुत करना होगा।

मैं/हम निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर द्वारा जारी की गयी खुली बोली सूचना संख्या................./2021–22 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली प्रपत्र में दी गयी समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

12-10-2021

हस्ताक्षर बोलीदाता
नाम मय सील

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन,जयपुर

बोली हेतु सामान्य नियम और शर्तें

नोटः– बोलीदाता बोली प्रपत्र को भरने एवं हस्ताक्षरित करने से पूर्व इन नियमों और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules,2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Acthave come into force which are available on the website of state Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this bidding document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. बोलीदाता को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिड उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए। लिफाफे पर "**कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर की सेवाओं हेतु बोली**" लिखा होना चाहिए।
2. बिड प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा । पेंसिल से भरी गयी किसी भी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जावें एवं उस पर फर्म की सील (मुहर) लगाते हुए लघुहस्ताक्षर किए जावें।
4. अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
5. बिड की वैधता अवधि, वित्तीय बोली/प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक से 28.02.2022 तक की दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
6. अनुमोदित दरें 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए मान्य होंगी, जिसे RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के अनुसार बढाया जा सकेगा।
7. कार्यालय द्वारा जारी किये गये मूल बोली प्रपत्र अथवा SPPP Portal से डाउनलोड किए हुए प्रपत्र में ही बोली स्वीकार की जायेगी।
8. बोली में किसी प्रकार की कटिंग/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई कटिंग/उपरिलेखन है तो उसपर फर्म की सील के साथ लघुहस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
9. बोलियाँ दिनांक 20.10.2021 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त कर निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं जयपुर के कार्यालय में दिनांक 20.10.2021 को दोपहर 3:00 बजे उपापन समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं/उनके

12-10-2021

अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। अपरिहार्य कारणों से बोलीएं खोलने की तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है।

10. बोली प्रपत्र में अंकित दस्तावेज कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
11. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या संपूर्ण कार्य को किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा।
12. संस्था/एजेन्सी को किसी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं दिया जाएगा।
13. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर मान्य होगा।
14. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश में वर्णित प्रावधानों की पालना अनिवार्य होगी तथा बिलों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती भी की जावेगी।
15. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से उपरोक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा।
16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
17. बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह कार्य आदेश की तारीख से आदेशानुसार अवधि के भीतर सेवायें आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा।
18. बोली प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील निदेशक, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, **राजस्थान** एवं द्वितीय अपील **सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान** को की जा सकेगी ।
19. RTPP Rules 2013 के नियम 29(ज) के अनुसार अनुबंधित संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए कीमत कोट करता है/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से इस दर संविदा की दरें स्वतः ही कम हो जायेगी और दर संविदा तदानुसार संशोधित की जायेगी।
20. कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को किसी भी दावे या प्रतिकार का अधिकार नहीं होगा। कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर पर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा।
21. **वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन** :तकनीकी बोली प्रस्ताव में सफल बोलीदाताओं से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों में न्यूनतम दरदाता फर्म का निर्धारण कर दर अनुमोदन की कार्यवाही की जा सकेगी।
22. किसी भी प्रकार की सशर्त बोली स्वीकार योग्य नहीं होगी।

मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

12-10-2021

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोली की विशेष शर्ते

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
3. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
4. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
5. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो तो) जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
6. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
7. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
8. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तदायी होगा। श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह संवेदक को स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमों की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एजेन्सी का होगा।
9. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
10. नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
11. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

12-10-2021

13. इस कार्यालय के द्वारा विद्यमान दर–संविदायें उसी कीमत, निबन्धनों और शर्तों पर RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अनुसार बढाई जा सकेंगी, यदि दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हों।
14. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जावेगी वह कार्यादेश जारी होने से 03 दिवस में कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर उपलब्ध करायेगा।
15. कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये न्यूनतम योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष पास होना आवश्यक है। स्नात्तकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ज्ञान होना आवश्यक है। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनिट होनी चाहिये। ऑपरेटर की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। एक बार ऑपरेटर नियुक्त करने के पश्चात् मुख्य कार्यकारी निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर की अनुमति से ही बदला जा सकेगा। ऑपरेटर से कराये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–
    1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करना।
    2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
    3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
    4. एम.एस.वर्ड, एम.एस.एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
    5. ई–मेल करना / प्राप्त करना।
    6. विभिन्न पोर्टल / मोडयूल्स में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
    7. ई–गवर्नेस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
    8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित और सूचना तकनीकी से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।
16. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा। तथा अवैध गतिविधि / अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उसे तत्काल हटा दिया जावेगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। संवेदक को तत्काल अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा।उक्त कार्मिक का चाल चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिये।
17. कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अपेक्षित जॉब / कार्य नहीं करने पर संवेदक द्वारा अविलम्ब उसके स्थान पर अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर अपेक्षित योग्यताधारक उपलब्ध कराया जावेगा।
18. कम्प्यूटर ऑपरेटर के चाल चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संवेदक की होगी।
19. संविदा पर उपरोक्त पदों पर चयनित होने वाली एजेन्सी / संस्था का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर को होगा। यदि कार्यालय दिवसों के अलावा अवकाश दिवसों में कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् भी संस्था / एजेन्सी से सेवायें ली जाती है तो इन सेवाओं के लिये साप्ताहिक अवकाश के अलावा कार्यालय द्वारा अन्य कोई परिलाभ नहीं दिये जायेंगे। साथ ही उन्हें निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर के निर्देशानुसार कार्यालय के सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना होगा।
20. बोली स्वीकार होने की दशा में कार्यालय के साथ संस्था / एजेन्सी का अनुबन्ध किया जाएगा जिसकी पालना के लिए बोलीदाता फर्म के मालिक / भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
21. ऑपरेटर के साथ संस्था द्वारा इस कार्यालय को दिये जाने वाली मशीन में न्यूनतम स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार होना चाहिये :–
    I. **computer specification**:- Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or Higher, Hard disk 250 GB or More, 15'' Monitor/ TFT or bigger, 10/100/1000 mbps & LAN card, CD/DVD Writer, Standard keyboard, Optical Mouse, Standard serial & parallel USB Ports, Windows 7 or higher, Anti-virus, Pre-installed MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor. इससे अधिक सुविधायुक्त कम्प्यूटर देने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
    II. **Printer Specification :**Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet printer

12-10-2021

may be taken in lieu of laser printer.

III. **UPS**-Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.

22. कम्प्यूटर उपकरण मय ऑपरेटर जो बोली में दर्शाये गये हैं, कि विशिष्टियों के अनुरूप बोलीदाता को स्वयं उपलब्ध करवाने होंगे। कम्प्यूटर उपकरण को हमेशा चालू हालत में रखना होगा। यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर को लिखित में सूचना देकर मरम्मत कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। मरम्मत अवधि में बोलीदाता को अन्य उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
23. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उसका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम निर्धारित अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप है। यदि सिस्टम निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नही पाया जायेगा तो उसे बोलीदाता को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप Replace करना होगा। यदि कम्प्यूटर सिस्टम कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है, तो बोलीदाता को लिखित सूचना देकर इसे ठीक करवाने हेतु कहा जाएगा तथा दी गई अवधि में ठीक नहीं कराने पर निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर, संविदा भंग मानते हुये बोली निरस्त कर दी जायेगी।
24. कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एवं बिजली की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी तथा कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण परिसर में रखे जा सकेंगे किन्तु यदि उपकरणों की चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। अतः बोलीदाता को सुझाव दिया जाता है कि वह चाहे तो उपकरण का बीमा करवा लेवें।
25. बोलीदाता को प्रतिदिन कार्यालय समय में तथा आवश्यकता की स्थिति में कार्यालय समय के पूर्व एवं बाद तथा राजकीय अवकाश दिवस में आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होंगी। किसी भी माह में 4 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखे जायेंगे। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। ऐसी अवधि में बोली में निर्धारित Configuration का Stand by कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व यूपीएस उपलब्ध करवाना होगा। इससे अधिक समय कम्प्यूटर बंद रखने पर, चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो 200/– रूपये प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से क्षतिपूर्ति कटौती बोलीता के बिल में से की जायेगी।
26. कम्प्यूटर सेवाएं देने के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
27. स्टेशनरी, सी.डी. एवं पैन ड्राइव कन्ज्यूमेबल्स आदि आवश्यकता अनुसार कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा जो कार्यालय की सम्पत्ति रहेगी। प्रिन्टर्स में नया टोनर प्रथम बार बोलीदाता द्वारा ही उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात प्रिन्टर में टोनर रीफिलिंग का कार्य कार्यालय स्तर से किया जावेगा।
28. स्वीकृत बोलीदाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों एवं कार्यो के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति और राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी एक्ट और लेबर एक्ट और अन्य प्रचलित कानून के तहत लागू प्रावधानों की पालना के लिये उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के प्रावधानों की अवमानना के लिए एजेन्सी/संस्था व्यक्तिशः जिम्मेदार होगी। राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, जयपुर, इस बारे में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
29. यदि सेवा एजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमें निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर या अन्य अधिकारी को भी पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार संवेदक को वहन करना होगा।
30. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नही किया जावेगा।
31. यदि सेवा एजेन्सी द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है या संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक की कार्य सम्पादन राशि जब्त करते हुये अन्य सेवा एजेन्सी से दर प्राप्त कर उन्हें ठेका दिये जाने का पूर्ण अधिकार, निदेशक(प.क.) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए जयपुर को होगा।
32. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों हेतु निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान (कार्मिक का ईपीएफ अंशदान 12 प्रतिशत तथा ईएसआई अंशदान हेतु 3.25 प्रतिशत की कटौति कर, शेष राशि का भुगतान) संबंधित कार्मिक के बैंक खाते के माध्यम से जमा कर, उक्त राशि जमा कराने का

12-10-2021

साक्ष्य अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही अगले बिल का भुगतान किया जा सकेगा।

33. संवेदक को कार्मिक के ईपीएफ एवं ईएसआई में राज्य सरकार के नियमानुसार कटौती राशि जमा कराने का साक्ष्य आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई के भुगतान के क्रम में समस्त चार्जेज एवं प्रशासनिक खर्च का वहन संबंधित संवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

34. सेवा अनुबन्ध के दौरान सेवा पर लगे कार्मिकों द्वारा विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं राज्य सरकार के नियमानुसार गोपनीय रखी जावेंगी।

35. संवेदक / बोलीदाता उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा :–

क्र.सं.	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर का नाम)	पिता / पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक

12.10.2021

बोलीदाता के हस्ताक्षर

54,

(उक्त प्रपत्र को भरकर छोटे लिफाफे में सील बन्द कर तकनीकी प्रस्तावों के साथ बडे लिफाफे में सीलबन्द किया जाना है)

वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र

सेवामें,

निदेशक,

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं ।

महोदय / महोदया,

1. कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर की सेवायें हेतु आपकी बोली संख्या........../2021–22 के क्रम मे बिना किसी आरक्षण एवं शर्त के हमारी दरें निम्नानुसार वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत हैं।
2. हमने बोली प्रपत्र में वर्णित कार्य के दायरे को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा बोली प्रपत्र में वर्णित शर्तों को हम बिना किसी आरक्षण, विचलन या चूक के स्वीकार करते हैं, तथा हम दर अनुबन्ध के विभिन्न आईटमों की बिना किसी शर्त के निम्नानुसार दरें उद्धरित करते हैं:–

क्रम स0	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				ईपीएफ दर प्रतिशत (कॉलम सं0 6*12.00%)	ईएसआई दर 3.25 प्रतिशत (कॉलम सं0 6 *3.25%)	मशीन का किराया प्रतिमाह	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये	कुल राशि प्रति ईकाई (जीएसटी अतिरिक्त)
		श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये	ऑपरेटर की संख्या	राशि प्रति माह प्रति ईकाई					
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित ऑपरेटर	उच्च कुशल	8476/–	2		12 % नियोक्ता	3.25% नियोक्ता			—

* यदि लागू हो तो

3. कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर की दर संविदा हेतु हमारी प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है :–

		राशि रूपये(अंको में)	राशि रूपये(शब्दों में)
I.	कॉलम स. 6 हेतु	....	....
II.	कॉलम स. 9 हेतु	....	....
III.	कॉलम स. 10 हेतु	....	....
IV.	कॉलम स. 11 हेतु	....	....

4. हमारे द्वारा दी गयी दरें समस्त कर सहित है, उक्त दरों में जीएसटी सम्मिलित नहीं है। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
5. कॉलम संख्या 6 एवं 10 की पूर्ति कर दी गई है। कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि कॉलम संख्या 4 मे अंकित राशि से कम नही है।
6. सामग्री राशि/उपकरण किराया एवं सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि शून्य दर्शाये जाने पर बोली पर विचार नही किया जायेगा। बोली प्रपत्र में उद्धरित की गई दरें दर अनुबन्ध के दौरान स्थिर रहेगी, परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है तथा कॉलम 6 में अंकित राशि न्यूनतम मजदूरी से कम है तो उस स्थिति में राशि न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक स्वतः बढ जावेगी।
7. हमने समझ लिया है कि आप कोई प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं तथा प्राप्त किसी या समस्त प्रस्तावों को अस्वीकृत कर सकेंगे।

12.10.2021

हस्ताक्षर बोलीदाता

प्र. 54/